न्यायालय उपखण्ड अधि...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 31.7.2023......... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 286/2021

तारीख दायर 07-09-2021

तारीख फैसला 19/7/2023

उनवान

01. शेराज पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
02. मुकेश सिंह पुत्र स्व0 श्री श्योवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
03. मीना पुत्री स्व0 श्री श्योवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
04. सुरेश देवी पत्नी स्व0 श्री श्योवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
05. कैलाश देवी पुत्री स्व0 श्री मानसिंह
06. महावीर सिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पु. स्व0 श्री शिम्भु सिंह
07. कंवरलाल पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पु. स्व0 श्री शिम्भु सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: वादी

(बनाम)

01. अशोक सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
02. आशा कंवर पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
03. निशा कंवर पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
04. पुष्पा कंवर पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासीगण रायसराना की ढाणी कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर, हाल आबाद ऐवलोन सोसायटी टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
05. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल
06. मनेश पुत्री स्व0 श्री जगमाल
07. राजेश पुत्री स्व0 श्री जगमाल
08. वीरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल
09. शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूमिधारी पैरोकार तहसील तिजारा

----:: असल प्रतिवादीगण

12. सम्मी पुत्र स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह
13. दीपा पुत्री स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह
14. रेखा पुत्री स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह

15. प्रेमलता पुत्री स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह

16. गैम

17. रमेश

18. पुष्पाल पुत्रीयान स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——–:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 245 मिन रकबा 19 बिस्वा में से 9 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 है0 शामिल पर पैमुद किये गये है, जो वाके ग्राम कारौली तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 245मिन रकबा 19 बिस्वा में से 9 बिस्वा भूमि हम वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण के पूर्वज जगमाल, मानसिंह व शिम्भु सिंह पुत्रान घमण्डी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस पर जगमाल, मानसिंह व शिम्भु सिंह अपने अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है तथा जगमाल, मानसिंह व शिम्भु सिंह के नाम साबिक रिकार्ड जमाबन्दी संवत 1998, 2002 में अंकन दर्ज रिकार्ड है व साबिक जमाबन्दी संवत 2014 में जगमाल वगै. हिस्सेदारान का अंकन दर्ज रिकार्ड है। जगमाल, मानसिंह व शिम्भु सिंह का देहान्त हो गया। उक्त विवादित आराजी हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण तथा असल प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत से प्राप्त हुई है। हम वादीगण संख्या 1 लगायत 5 जो कि मानसिंह के विधिक एवं जायज वारिसान है तथा वादीगण संख्या 6 व 7 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण जो कि शिम्भु सिंह के विधिक वारिसान है व असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 जो कि जगमाल के विधिक वारिसान है। उक्त विवादित आराजी में हम वादीगण संख्या 1 लगायत 5 का 1/3 भाग वादीगण संख्या 6 व 7 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/3 भाग तथा असल प्रतिवादीगण का 1/3 भाग निहित है और इसी कदर पक्षकारान काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोवार करते आ रहे है। सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी संवत 2029 पैमुद करते समय उपरोक्त उक्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 245मिन रकबा 19 बिस्वा में से 9 बिस्वा के हाल आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 है0 पैमुद किये और तन्हा असल प्रतिवादीगण के पूर्वज जगमाल का तन्हा अंकन कर दिया। जवकि अन्य साबिक आराजी का हाल रिकार्ड बनाते समय तीनों भाईयों जगमाल, मानसिंह व शिम्भु सिंह के नाम का अंकन सही किया हुआ है। सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों को साबिक रिकार्ड में अनुसार जगमाल, मानसिंह व शिम्भुसिंह के नाम का अंकन करना चाहिये था। जगमाल का देहान्त उपरान्त उक्त विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 है0 असल प्रतिवादीगण के नाम का गलत अंकन चला आ रहा है। जो खिलाफ साबिक रिकार्ड, खिलाफ मौका है। हम वादीगण के हकूकों के विरूद्व आरम्भ से ही वातिल वो वेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे हम वादीगण

कदर बातिल वो बे असर करार दिलाकर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 है0 में हम वादीगण संख्या 1 लगायत 5 अपने नाम 1/3 भाग व वादीगण संख्या 6 व 7 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम 1/3 भाग तथा असल प्रतिवादीगण के नाम 1/3 भाग खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 है0 में से असल प्रतिवादीगण के 2/3 भाग तक हजफ कराकर वादीगण इश्तकाररहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिक्री पाने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र शोराज पुत्र स्व. श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारौली तहसील टपूकडा जिला अलवर, मुकेश पुत्र श्योवीर जाति राजपूत निवासी कारौली तहसील टपूकडा जिला अलवर, महेश पुत्र ब्रहमजीत जाति ब्राहमण निवासी कायमपुर जोखावास अलवर एवं पवन कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाटव निवासी ग्राम तिजारा पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाज जमाबन्दी संवत 2075–78, जमावन्दी संवत् 2029, मिलान क्षेत्रफल संवत 2029, जमावन्दी संवत 2002, जमाबन्दी संवत 1998, जमावन्दी संवत 2014 पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत की गई जिसमें वाद के तथ्यों को दौहराते हुये आराजी में मृतक लच्छी के वारिसान प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी में से मिन वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर वाद पत्र को डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। साबिक खसरा नम्बर 245 से हाल खसरा नम्बर 517 रकवा 0.11 है0 मुताविक मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 पैमुद किये गये है। जमावन्दी संवत 2002 में वादीगण के पूर्वज जगमान, समभु, मानसिंह का नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी अन्य जमावन्दी में हो रहा है। परन्तु जमावन्दी संवत 2029 पैमुद करते समय केवल जगमाल का नाम दर्ज रिकार्ड हो गया। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 517 रकवा 0.11 है0 वाके ग्राम कारौली तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0 पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 को 1/3 भाग का, वादीगण संख्या 6 व 7 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 18 को 1/3 भाग का तथा असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
286 / 2021	07-09-2021	19/07/2023

उनवान

01. सौराज पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
02. मुकेश सिंह पुत्र स्व0 श्री श्योवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
03. मीना पुत्री स्व0 श्री श्योवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
04. सुरेश देवी पत्नी स्व0 श्री श्योवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
05. कैलाश देवी पुत्री स्व0 श्री मानसिंह
06. महावीर सिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पु. स्व0 श्री शिम्भु सिंह
07. कंवरलाल पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पु. स्व0 श्री शिम्भु सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादी

(बनाम)

01. अशोक सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
02. आशा कंवर पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
03. निशा कंवर पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
04. पुष्पा कंवर पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासीगण रायसराना की ढाणी कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर, हाल आवाद ऐवलोन सोसायटी टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
05. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल
06. मनेश पुत्री स्व0 श्री जगमाल
07. राजेश पुत्री स्व0 श्री जगमाल
08. वीरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल
09. शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूमिधारी पैरोकार तहसील तिजारा

-----:: असल प्रतिवादीगण

12. सम्मी पुत्र स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह
13. दीपा पुत्री स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह
14. रेखा पुत्री स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह

मलता पुत्री स्व0 श्री निरंजनसिंह पुत्र स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह
ीम
. रमेश
8 पुष्पल पुत्रीयान स्व0 श्री सांवतसिंह पुत्र स्व0 श्री शिम्भु सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: **पर्चा डिकी** ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम कारौली तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0) पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 को 1/3 भाग का, वादीगण संख्या 6 व 7 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 18 को 1/3 भाग का तथा असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)